न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 83/2012/अपील

अब्दुल गफार पुत्र महाले खां जाति तगाला (गतराडा) मुसलमान निवासी वार्ड नं0 16 खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 नगरपालिका खण्डेला जरिये सचिव, तहसील खण्डेला जिला सीकर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर बहेसियत भुमिधारी

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 506 दिनांक 05.11.2012 वाके ग्राम मेहरों की ढ़ाणी द्वारा तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

वकील रेस्पोडेंट श्री कन्हैयालाल वर्मा

निर्णय **दिनांकः–27.09.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम खण्डेला तहसील खण्डेला की तन में स्थित आराजियात ख0नं0 2404 मे से 0.44 हैक्टर, खसरा नम्बर 2099 मे से 0.13 हैक्टर व खसरा नम्बर 2104 मे से 0.40 हैक्टर का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। जिसे न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2006 के द्वारा अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया है। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने अपनी आज्ञा दिनांक 05.11.2012 के द्वारा अन्य आराजियात के साथ अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 2104 मे से 0.40 हैक्टर भूमि का नामान्तरकरण सं0 506 दिनांक 05.11.2012 को रेस्पोडेन्ट सं0 1 के हक में विरूद्ध कानून स्वीकार कर दिया। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार, ने अपनी आज्ञा जेर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 2104 मे से 0.40 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है उसे न तो कोई नोटिस दिया और न ही सुनवाई व आपत्ति प्रस्तुत करने का मौका दिया। अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 2104 मे से 0.40 हैक्टर व अन्य भूमि खसरा नम्बर 2404 मे से 0.44 हैक्टर व खसरा नम्बर 2099 मे से 0.13 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार है व उसका कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। उक्त आराजियात अपीलान्ट के बाप दादा के समय से उनके कब्जे काश्त मे चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारी गलती से सरकार के हक में अंकित हो गई, जिस पर अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला में दावा बाबत इस्तकरार व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जो दिनांक 14.08.2006 को डिक्री किया गया। अपीलान्ट विवादग्रस्त आराजी पर बहेसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व नामान्तरकरण सम्बन्धी नियमों की कोई पालना नही की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार

Web Copy - Not Official

मेहरों की ढ़ाणी से सम्बंधित नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावे व उक्त भूमि की खातेदारी अपीलांट के हक में दर्ज करने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश की पालना में तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विवादग्रस्त आराजियात बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2006 के द्वारा अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु अंकन किया गया है। चूंकि न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2006 के द्वारा अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 05.11.2012 को तस्दीक किया हुआ है। अपीलांट को न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा दिनांक 14.08.2006 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के उपरांत उक्त निर्णय व डिक्री का इतने लम्बे समय तक राजस्व रिकार्ड में अमल क्यों नहीं किया गया ? न्यायालय सहायक कलक्टर खण्डेला द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2006 का इतने लम्बे समय तक राजस्व रिकार्ड में अमल नही किया जाना निःसंदेह संदेहात्मक प्रतीत होता है। विवादग्रस्त आराजियात सरकारी भूमि होने से नगरपालिका खण्डेला के नाम से अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 08.12.2010 के मुताबिक शहरी अथवा नगरीय एरिया में स्थित सरकारी भूमियों को नगरपालिका के नाम से दर्ज किये जाने हेतु पारित किया हुआ है। उपरोक्त आराजियात सरकारी भूमि होने से योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण नगरपालिका के नाम से दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की समग्रता को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने से यह कतई स्पष्ट है कि चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण दर्ज करनें में कोई विधिक अथवा प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/9/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official